

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर
(राज0 झील विकास प्राधिकरण)

क्रमांक:प.8(झील)()डीएलबी/22/

दिनांक 18/11/2022

राजस्थान झील विकास प्राधिकरण हेतु कार्यालय भवन किराये पर लिये जाने बाबत पात्रता एवं शर्तें

1. भवन मालिक का नाम एवं पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर ...
2. किराये पर दिये जाने वाले भवन का पूर्ण एवं स्पष्ट पता/स्थान ।
3. किराये पर दिये जाने वाले भवन का ऐरिया वर्ग फिट में।
4. किराये पर दिये जाने वाला भवन फर्निशड है या अनफर्निशड स्पष्ट उल्लेख करे।

शर्तें :-

1. भवन की भूमि जेडीए/नगर निगम से अनुमोदित हो ।
2. केबिन्स एवं फर्नीचर कार्यालय उपयोग हेतु हो।
3. पार्किंग का समुचित स्थान हो।
4. बिजली पानी की समुचित व्यवस्था हो।
5. उल्लेखित भवन का निरीक्षण व चयन विभागीय समिति द्वारा किया जाकर किराये का निर्धारण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जावेगा। किराया निर्धारण के पश्चात आपसी सहमति से भवन किराये पर लिया जावेगा।
6. भवन चयन एवं किराया निर्धारण के पश्चात लीज डीड रजिस्ट्रेशन निर्धारित प्रक्रिया के तहत सम्पादित की जावेगी तथा किराया बढ़ोतरी राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत उपबधों के अनुसार बढ़ाया जावेगा।
7. निर्धारण किराये के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार करों के संबंध स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव एवं
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राज. झील विकास प्राधिकरण